फर्द अहकाम

शालीमार भटनागर बनाम जगदीश वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 111/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० पत्रावली [illegible] दिनांक 5/12/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	05/12/24.	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० तहसीलदार से रिपोर्ट पेश की। शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण अनु०। प्रतिवादीगण को बार-बार आवाज लगाई गई तथा इन्तजार किया। लेकिन उप० नहीं। प्रतिवादी नं० 2 ता 6 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में अ० नं० 102/2018 उनवान संजय भटनागर बनाम भगवान वगैरह के निर्णय की प्रति पेश की। शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 09/12/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	09/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली आदेश से विचाराधीन है।	

फर्द अहकाम

सोनपाल महाराज **बनाम** गणेश वगै०

उपखण्ड अधिकारी जलालाबाद

नाम न्यायालय

केस संख्या 111/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तथा वकील वादी की बहस को श्रवण किया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा ४४ रा०सं० काश्तकारी आदि० को स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली को नम्बर शुमार होकर रजिस्टर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जलालाबाद	

(Y2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
111 / 2024	07 / 08 / 2024	09 / 12 / 2024

1. संजय भटनागर पुत्र जी.सी.भटनागर, जाति भटनागर, निवासी 61 / 131 मानसरोवर, जयपुर।

वादी

बनाम

1 गणेश पुत्र मालूराम
2 ताराचन्द पुत्र मालूराम
3 बबलू पुत्र मालूराम
4 हंसराज पुत्र मालूराम
5 लाली पुत्री मालूराम
6 सरजू पत्नि मालूराम
जाति जोगी निवासी नोन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा :– वकील वादी

दावा बाबत घोषणा हक खातेदार
अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय:–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम नोन्दपुरा, पटवार हल्का राहोरी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर मे कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 82 रकबा 0.2900है0, 560 / 83 रकबा 0.0100है0 किता 2 कुल रकबा 0.3000है0 अनुसार स्थित है, जो कि उक्त वणित आराजियात आगे वादग्रस्त आराजियात है। खसरा नम्बर 82 रकबा 0.2900है0, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.1200है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.0900है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.1000है0, किता 4 कुल रकबा 0.6000है0 भूमि में प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के खातेदारी हिस्सा अनुसार रकबा 0.1200है0 भूमि को प्रतिवादीगण से जरिये पंजिकृत विकय पत्र वादी ने कय किया है, जो कि वादी के हित में निष्पादित विकय़ पत्र दिनांक 17.05.2022 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 205 में पृष्ठ सं0 43 कम सं0 202203424100794 पर पंजिबद्व किया गया। जिसका नामान्तरण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद नही किया गया एवं वादी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 के खातेदारी अवैध दर्ज रिकार्ड रही है। जिसके चलते उक्त भूमियों व अन्य भूमियो के संबंध में तकासमें का वाद डिकी होने के कारण खसरा नम्बर 82, 83, 84, 85 किता 4 कुल रकबा 0.6000है0 भूमि में वादी की उक्त वर्णितानुसार कयशुदा भूमि को जरिये तकासमा रिपार्टेशन कार्यवाही खसरा नम्बर 82 रकबा 0.2900है0, खसरा नम्बर 560 / 83 रकबा 0.0100है0 में प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 6 के नाम से संयुक्त हिस्सा 6 / 15 भाग अर्थात प्रत्येक का हिस्सा 1 / 15–1 / 15 भाग अनुसार खातेदारी दर्ज करते हुए राजस्व रिकार्ड कायम कर दिया गया। जो कि वादी के हित में प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज है, जबकि बाद तकासमा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज उक्त वादांकित भूमि में वादी काबिज काश्तकार एवं हक खातेदार है। जिसकी घोषणा कराने का वादी अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा 3 / 5 की भूमि वादी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

के हित में पूर्व से खातेदारी चली आ रही है तथा उक्त वर्णितानुसार प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 के द्वारा निष्पादित व पंजिबद्ध विक्रय पत्र के मुताबिक कयशुदा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 के नाम अंकित व दर्ज सम्पूर्ण आराजियात में वादी बतौर हक खातेदार एवं काश्तकार है, जिसकी खातेदारी घोषणा कराने का वादी अधिकारी है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 0.2900है0, खसरा नम्बर 560/83 रकबा 0.0100है0 किता 2 कुल रकबा 0.3000है0 सम्पूर्ण में वादी का राजस्व इन्द्राज खातेदारी अंकित करने एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 6 की खातेदारी इन्द्राज को निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ने दिनांक 21.10.24 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत निर्णय हेतु सहमति आदेश 15 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नोन्दपुरा में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 0.2900है0, खसरा नम्बर 560/83 रकबा 0.0100है0 किता 2 कुल रकबा 0.3000है0 सम्पूर्ण में प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के नाम अंकित भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावें तथा वादी का राजस्व इन्द्राज खातेदारी अंकित करने एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 6 की खातेदारी इन्द्राज को निरस्त फरमाने के आदेश दिये जाने में कोई आपत्ति नही है। शेष प्रतिवादीगण अनु0। शेष प्रतिवादी सं0 2 ता 6 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं0 7 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24/7005 दिनांक 25.11..2024 को रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान जमाबन्दी ग्राम नोन्दपुरा में आराजी खसरा नम्बर 82 रकबा 0.2900है0, 560/83 रकबा 0.0100है0 किता 2 रकबा 0.3000है0 भूमि वादी संजय पुत्र जी0सी0भटनागर हि0 3/5 जाति भटनागर सा0 61/31 मानसरोवर, जयपुर एवं प्रतिवादीगण गणेश, ताराचन्द, बबलू, हंसराज पि0 मालूराम हि0 4/15, लाली पुत्री मालूराम हि0 1/15, सरजू पत्नी मालूराम हि0 1/15 जाति जोगी सा0देह की संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। संलग्न रजि0 विक्रय पत्र सं0 202203424100794 दिनांक 17.05.22 अनुसार खसरा नम्बर 82 रकबा 0.2900है0, 83 रकबा 0.1200है0, 84 रकबा 0.0900है0, 85 रकबा 0.1000है0, किता 4 कुल रकबा 0.6000है0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 का हि0 114/564 वादी ने क्रय किया है। माननीय न्यायालय उपखण्ड महोदय जमवारामगढ के द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 03.12.21 की पालना में नामा0 सं0 105 निर्णय दिनांक 10.06.22 जरिये न्यायालय आदेश द्वारा खाता विभाजन होकर नवीन खसरा नम्बर 560/83 रकबा 0.0100है0, 82 रकबा 0.2900है0 किता 2 रकबा 0.3000है0 में वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादी का हि0 3/5 एवं प्रतिवादीगणों का हि0 2/5 ही अंकित किया गया है। अतः ग्राम नोन्दपुरा की वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बर 82 रकबा 0.2900है, खसरा नम्बर 560/83 रकबा 0.0100है0 किता 2 रकबा 0.3000है0 में संलग्न रजि0 विक्रय पत्रानुसार प्रतिवादीगण का हि0 2/5 को हजफ किया जाकर खसरा नम्बर 82 एवं 560/83 किता 2 रकबा 0.3000है0 में वादी का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना अपेक्षित होगा। वकील वादी की बहस सुनी गई।

अतः वकील वादी की बहस सुनने व पत्रावली का अवंलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नोन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण की वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बर 82 रकबा 0.2900है, खसरा नम्बर 560/83 रकबा 0.0100है0 किता 2 रकबा 0.3000है0 में प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 6 का हि0 2/5 को हजफ किया जाकर उक्त खाता सं0 75 में प्रतिवादीगण के हिस्से को हजफ कर सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज किया जावें। तदनुसार डिकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 09.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ